



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 998 वर्ष 2021

शाहीन और 2 अन्य

.....अपीलकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अब् सोफियान उपाध्याय	उस्मानी, उपेन्द्र
प्रतिवादी(यों) के वकील	:	राजीव सिंह (एस.सी.), दिनेश कुमार यादव, ताहिरा शबनम	

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

- यह अपील दिनांक 12.08.2021 को माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 351/2021 में पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसमें माननीय एकल न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि प्रथम दृष्टया बच्चों का कल्याण दादी (प्रतिवादी) के हाथों में अधिक सुरक्षित प्रतीत होता है और माता के मुलाकात के अधिकारों से संबंधित आदेश पारित किया। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है तो याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं को एक वर्ष की समाप्ति के बाद आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होगा।
- इससे असंतुष्ट होकर, वर्तमान अपील दायर की गई, जिसमें 08.03.2022 को डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता नंबर 1 के मुलाकात के अधिकारों के संबंध में छह महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त निर्देश पारित किए। छह महीने की अवधि समाप्त होने पर, अपीलकर्ताओं ने पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन के लिए आवेदन किया, जिसे 19.01.2023 को खारिज कर दिया गया, जिससे अपीलकर्ता नंबर 1 को मुलाकात के अधिकारों के लिए नया आवेदन करने की छूट दी गई, जिसके बाद अपीलकर्ताओं द्वारा 02.02.2023 को एक आवेदन दायर किया गया।
- पक्षकारों के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी-दादी दोनों ने क्रमशः अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम, 1890 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 25 और 7 के तहत आजमगढ़ परिवार न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किए हैं।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही पहले से ही सक्षम पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है, वर्तमान कार्यवाही को लंबित रखना किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। अपीलकर्ता संख्या 1 पारिवारिक न्यायालय में मुलाकात का अधिकार प्राप्त करने हेतु उचित आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. हम यह स्पष्ट करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जिसमें एक वर्ष बीत जाने के बाद आदेश की समीक्षा की मांग करने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है, अपीलकर्ता संख्या 1 को पारिवारिक न्यायालय के समक्ष कोई निर्देश मांगने में बाधा नहीं बनेगा।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, विशेष अपील का निस्तारण किया जाता है।

फरवरी, 2026
मुकेश पाल/एसएल

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, सी.जे.) 13

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"